

कुलपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर

कार्यवृत्त

दिनांक 08.05.2015 को पूर्वाह्न 11:30 बजे विश्वविद्यालय परिसर स्थित सेण्टर फॉर एकेडमिक्स में पल हुई कार्य परिषद की आपात बैठक की कार्यवाही :-
बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुये -

- | | | |
|----------|---|-------|
| सर्वश्री | | |
| 1. | प्रो० जे०बी० वैशम्पायन, कुलपति, सी.एस.जे.एम.यू., कानपुर | |
| 2. | श्री आई०सी० द्विवेदी, (से०नि०) आई.पी.एस., 4/26, विशाल खण्ड, विजया बैंक के पास, गोमती नगर, लखनऊ। | 3 |
| 3. | प्रो० सुभाष चन्द्र अग्रवाल, अधिष्ठाता, एडवांस स्टडीज आफ सोशल साइंसेज | स |
| 4. | प्रो० आर०सी० कटियार, आचार्य, आई०बी०एम० | |
| 5. | प्रो० नन्दलाल, आचार्य, जीवन विज्ञान विभाग | सद |
| 6. | प्रो० मृदुला भदौरिया, आचार्य, शिक्षा विभाग | सद |
| 7. | डॉ० मुनेश कुमार, उपाचार्य, शिक्षा विभाग | सदर |
| 8. | डॉ० अन्शू यादव, उपाचार्य, आई०बी०एम० | सदस |
| 9. | श्रीमती सन्ध्या मोहन, वित्त अधिकारी, सी.एस.जे.एम.वि.वि., कानपुर | सदस्य |
| 10. | श्री सय्यद वकार हुसैन, कुलसचिव, सी.एस.जे.एम.वि.वि., कानपुर | सदस्य |
| | | सचिव |

सर्वप्रथम अध्यक्ष महोदय ने सभी उपस्थित सदस्यों का स्वागत करते हुये बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई।
मद सं०-1: कार्य परिषद द्वारा गठित उच्च स्तरीय सम्बद्धता समिति की संस्तुति दिनांक 07.05.2015 के अनुमोदन पर विचार

कार्य परिषद द्वारा गठित उच्च स्तरीय सम्बद्धता समिति की दिनांक 07.05.2015 द्वारा कुल 93 महाविद्यालयों में से 86 महाविद्यालयों को प्रदान की गयी सम्बद्धता की पूर्वानुमति एवं 07 महाविद्यालयों को की गयी असंस्तुति पर परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

अन्य विषय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से।

1. रघुराजा राम गोपाल महाविद्यालय, सेमरी, रायबरेली द्वारा कपटपूर्ण तरीके से सत्र 2014-15 से प्राप्त सम्बद्धता के प्रकरण पर विचार।

कार्य परिषद प्रकरण से सम्बन्धित तथ्यों से अवगत हुयी, विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त शिकायत के सम्बन्ध में विशेष जांच कराने एवं उससे स्पष्ट हुये तथ्यों- मानकानुसार भवन व अन्य अवस्थापना सुविधायें न होना, प्रथम निरीक्षक मण्डल के तत्सम्बन्धी स्पष्टीकरण/आख्या तथा महाविद्यालय के प्रबन्ध तंत्र से प्राप्त आख्या/रिपोर्ट के दृष्टिगत कपटपूर्ण तरीके से सम्बद्धता प्राप्त करने की पुष्टि होने के कारण, कार्य परिषद द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम

क्रमशः पृष्ठ.....2

